भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2473

दिनांक 01 अगस्त, 2022 को उत्तर देने के लिए

पीएसयू का निजीकरण

2473. श्री फिरोज़ वरूण गांधी:
श्रीमती नुसरत जहां:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 2022 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की कुल संख्या और उनकी वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है;
(ख) 31.12.1990, 31.12.2000 और 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार कितने केंद्रीय पीएसयू थे;
(ग) क्या विगत कुछ वर्षों में कई पीएसयू घाटे में चल रहे हैं;
(घ) यदि हां, तो 2016-21 अवधि के दौरान राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर इन उपक्रमों के कारण हुई कुल संचयी हानियों की राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने घाटे में चल रहे इन सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने की मंजूरी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(डॉ. भागवत किशनराव कराड)

(क): दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 24.26 लाख करोड़ रुपये के कुल सकल राजस्व और 1.58 लाख करोड़ रुपये के कुल लाभ के साथ 255 प्रचालनरत केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम (सीपीएसईज़) हैं।

(ख): उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 31.3.1991, 31.3.2001 और 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार प्रचालनरत सीपीएसईज़ की संख्या क्रमश 236, 234 और 220 थी।

(ग से घ): वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए कुल सामूहिक हानि के साथ घाटे में चल रहे सीपीएसईज़ की वर्ष-वार संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है

वर्ष	**घाटे में चल रहे सीपीएसईज़ की संख्या**	**हानि की राशि (रुपये करोड़ में)**
2016-17	82	25045
2017-18	71	31261
2018-19	70	31635
2019-20	84	44817
2020-21	77	31058

लोक उद्यम विभाग द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में सूचना नहीं रखी जाती है।

(ङ): ऐसे 23 सीपीएसईज़/सीपीएसईज़ की इकाइयां हैं जिन्हें सरकार द्वारा वर्ष 2016 से बंद करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

(च): ऐसे सीपीएसईज़ और /या सहायक कंपनियां/ इकाइयां / सीपीएसईज़ के संयुक्त उद्यम, जिनके लिए सरकार ने वर्ष 2016 से रणनीतिक विनिवेश हेतु 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदन दिया है, की सूची अनुबंध-1 में दी गई है।

<u>दिनांक 01.08.2022 को उत्तर देने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2473 के भाग (च) में संदर्भित अनुबंध</u>

अनुबंध-I

उन सीपीएसईज़ और/या सहायक कंपनियों/इकाईयों/सीपीएसईज़ के संयुक्त उद्यमों की सूची, जिनके लिए सरकार ने 2016 से रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दिया है।

क) <u>चालू लेन-देन जिनपर दीपम द्वारा कार्रवाई की जा रही है</u>

1.	बीईएमएल लिमिटेड
2.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3.	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
4.	प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
5.	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (सहायक)
6.	इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7.	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
8.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
9.	एनएमडीसी लिमिटेड का नगरनार स्टील प्लांट
10.	(क) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को छोड़कर) (ख) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में बीपीसीएल की हिस्सेदारी को रणनीतिक खरीदार सीपीएसई को $
11.	पवन हंस लिमिटेड
12.	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल)
13.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड
14.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड
15.	मिश्र धातु इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर ^; सलेम इस्पात संयंत्र; भद्रावती इस्पात संयंत्र - स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की इकाइयां

^ लेन-देन फिलहाल रुका हुआ है। $ लेन-देन पूर्ण हुआ

ख) चल रहे लेन-देन जिनपर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा कार्रवाई की जा रही है

16.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की विभिन्न इकाइयां
17.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
18.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

ग) मुकदमेबाजी के कारण रुका हुआ लेन-देन

19.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

घ) सीपीएसईज़ को बंद करने के लिए सिफारिश/अनुमोदन या किसी अन्य कारण से लेनदेन रोक दिया गया है।

20.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (सहायक) *
21.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड *
22.	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड *
23.	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
24.	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नयागांव इकाई) की इकाइयां@

* तत्पश्चात् सरकार ने कंपनी को बंद करने का अनुमोदन कर दिया।
@लेन-देन व्यवहार्य नहीं है और खानों को राज्य सरकारों को वापस किया जा रहा है।

ङ) लेन-देन पूर्ण हुआ

क्र.सं.	**सीपीएसई का नाम**
25.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
26.	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
27.	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
28.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड
29.	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
30.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
31.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
32.	कामराजर पोर्ट लिमिटेड
33.	एयर इंडिया **
34.	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (चार सीपीएसईज़ और दो राज्य पीएसईज़ के संयुक्त उद्यम)

च) एनसीएलटी में कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत

क्र.सं.	**सीपीएसई का नाम**
35.	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (सहायक)***

** सहायक कंपनियां जो अब एआईएएचएल के साथ हैं, उन्हें अभी भी विनिवेशित किया जाना है
*** एनसीएलटी, कोच्चि द्वारा दिनांक 29.01.2021 के आदेश के तहत अनुमोदित केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए) की समाधान योजना वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही है।